महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – इकानवेवां संस्करण (माह जनवरी, 2024)

"पहल" के इस संस्करण में ....

1. अपनी बात ....
2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence)
3. सांसद आदर्श ग्राम योजना विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला
4. वृद्धि निगरानी ओर बच्चों का विकास
5. जनपद पंचायत की बैठक आयोजित करने की प्रकिया
6. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)
7. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक	प्रधान संपादक
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री संजय कुमार सराफ, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्री एस.के. सचान,

उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com

Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का इकानवेवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2024 का प्रथम मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में संस्थान में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला दिनांक 22 दिसंबर 2023 को दो बैच में आयोजित की गई। जिसे **''प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना''** तथा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर में दिनांक 29 दिसंबर 2023 को **''सांसद आदर्श ग्राम योजना विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला''** का आयोजन किया गया। जिसे समाचार आलेखों के रूप में शामिल किया गया है।

संस्करण में **''आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence)''**, **''वृद्वि निगरानी ओर बच्चों का विकास''**, **''जनपद पंचायत की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया''** एवं **''प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI एक प्रकार की बौद्धिक क्षमता होती है जिसे की कृत्रिम तरीके से विकसित किया गया होता है। इसे आप एक सिस्टम का कृत्रिम दिमाग़ भी कह सकते हैं।

AI का full form है Artificial Intelligence या हिंदी में इसका अर्थ है कृत्रिम दिमाग। ये एक ऐसा simulation है जिससे की मशीनों को इंसानी intelligence दिया जाता है या यूँ कहे तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है की वो इंसानों के तरह सोच सके और काम कर सके।

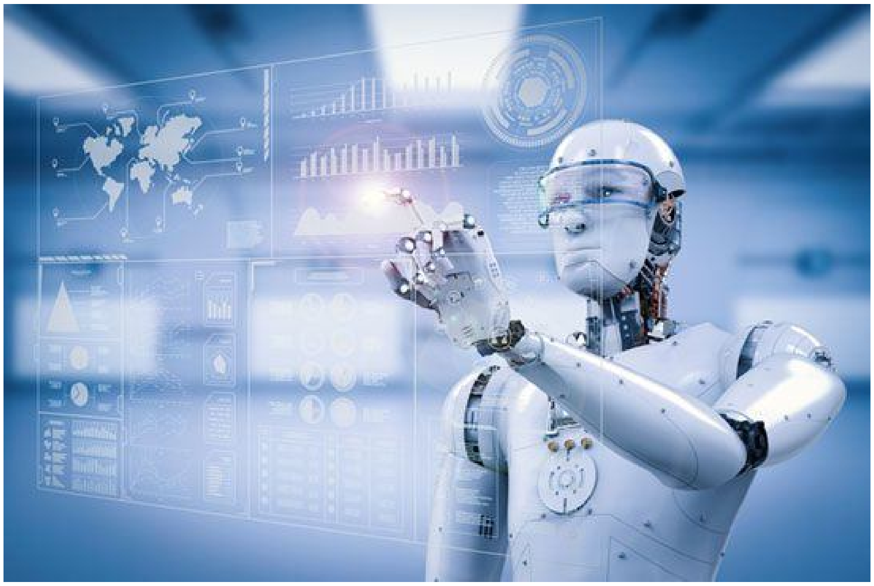

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट की उन कार्यों को करने की क्षमता है जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं क्योंकि उन्हें मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) मनुष्यों या जानवरों की बुद्धि के विपरीत मशीनों या सॉफ्टवेयर की बुद्धिमत्ता है। यह कंप्यूटर विज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र भी है जो बुद्धिमान मशीनों का विकास और अध्ययन करता है। "एआई" स्वयं मशीनों को भी संदर्भित कर सकता है।

एआई तकनीक का व्यापक रूप से उद्योग, सरकार और विज्ञान में उपयोग किया जाता है। कुछ हाई–प्रोफ़ाइल एप्लिकेशन हैं: उन्नत वेब खोज इंजन उदाहरण के लिए, Google खोज, अनुशंसा प्रणाली यूट्यूब, अमेज़ॅन और नेटफ्लिक्स द्वारा उपयोग किया जाता है, मानव भाषण को समझना जैसे सिरी और एलेक्सा, स्व–ड्राइविंग कारें उदाहरण के लिए, वेमो, उत्पादक या रचनात्मक उपकरण चैटजीपीटी और एआई कला, और रणनीतिक खेलों जैसे शतरंज और गो में उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना 1956 में एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में की गई थी। यह क्षेत्र आशावाद के कई चक्रों से गुज़रा जिसके बाद निराशा और धन की हानि हुई, लेकिन 2012 के बाद, जब गहन शिक्षा पद्धति ने पिछली सभी एआई तकनीकों को पीछे छोड़ दिया, एआई के क्षेत्र में फंडिग एवं दिलचस्पी में वृद्धि हुई।

एआई अनुसंधान के विभिन्न उप–क्षेत्र विशेष लक्ष्यों और विशेष उपकरणों के उपयोग के आसपास केंद्रित हैं। एआई अनुसंधान के पारंपरिक लक्ष्यों में तर्क, ज्ञान प्रतिनिधित्व, योजना, सीखना, प्राकृतिक भाषा

प्रसंस्करण, धारणा और रोबोटिक्स शामिल हैं। सामान्य बुद्धि, "एक समस्या को हल करने की क्षमता" क्षेत्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों में से एक है। इन समस्याओं को हल करने के लिए, एआई शोधकर्ताओं ने खोज और गणितीय अनुकूलन, औपचारिक तर्क, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और सांख्यिकी, संभाव्यता और अर्थशास्त्र पर आधारित तरीकों सहित समस्या–समाधान तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला को अनुकूलित और एकीकृत किया है।

ज्ञान प्रतिनिधित्व और ज्ञान इंजीनियरिंग (नॉलेज़ इंजिनियरिंग) एआई कार्यक्रमों को बुद्धिमानी से सवालों के जवाब देने और वास्तविक दुनिया के तथ्यों के बारे में निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है। औपचारिक ज्ञान अभ्यावेदन का उपयोग सामग्री–आधारित अनुक्रमण और पुनप्राप्ति, दृश्य व्याख्या, नैदानिक निर्णय समर्थन, ज्ञान खोज (बड़े डेटाबेस से "दिलचस्प" और कार्रवाई योग्य निष्कर्ष निकालना), और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है।

ज्ञान का आधार ज्ञान का एक समूह है जिसे एक ऐसे रूप में दर्शाया जाता है जिसका उपयोग किसी प्रोग्राम द्वारा किया जा सकता है। ऑन्टोलॉजी ज्ञान के क्षेत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं, संबंधों, अवधारणाओं और गुणों का समूह है। ज्ञान के आधारों को चीजों का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है जैसेः वस्तुएं, गुण, श्रेणियां और वस्तुओं के बीच संबंध, स्थितियाँ, घटनाएँ, स्थितियाँ और समय, कारण और प्रभाव, ज्ञान के बारे में ज्ञान (हम जो जानते हैं उसके बारे में अन्य लोग क्या जानते हैं) डिफ़ॉल्ट तर्क (मानव जो चीजें मानता है वे तब तक सत्य हैं जब तक वे सच नहीं हो जातीं) अलग–अलग तरीके से बताया गया है और तब भी सच रहेगा जब अन्य तथ्य बदल रहे हों) और ज्ञान के कई अन्य पहलू और क्षेत्र।

नॉलेज़ रिप्रेजेन्टेशन (केआर) में सबसे कठिन समस्याओं में से हैंः सामान्य ज्ञान की व्यापकता, परमाणु तथ्यों का सेट जो औसत व्यक्ति जानता है वह बहुत बड़ा है, और अधिकांश सामान्य ज्ञान का उप–प्रतीकात्मक रूप, लोग जो कुछ भी जानते हैं वह नहीं है "तथ्यों" या "कथनों" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसे वे मौखिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं।

एआई अनुप्रयोगों के लिए ज्ञान प्राप्त करना एक कठिन समस्या है। आधुनिक एआई इंटरनेट को "स्क्रैप" करके ज्ञान एकत्रित करता है। ज्ञान स्वयं स्वयंसेवकों और पेशेवरों द्वारा एकत्र किया गया था जिन्होंने जानकारी प्रकाशित की थी जो एआई कंपनियों को अपना काम प्रदान करने के लिए सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी। यह "क्राउड सोर्स्ड" तकनीक यह गारंटी नहीं देती कि ज्ञान सही या विश्वसनीय है। इन आधुनिक एआई अनुप्रयोगों के लिए सटीक ज्ञान प्रदान करना एक अनसुलझी समस्या है।

एक "एजेंट" वह सब कुछ है जो दुनिया को समझता है और कार्रवाई करता है। एक तर्कसंगत एजेंट के लक्ष्य या प्राथमिकताएँ होती हैं और वह उन्हें पूरा करने के लिए कार्यवाही करता है। स्वचालित योजना में, एजेंट का एक विशिष्ट लक्ष्य होता है। स्वचालित निर्णय लेने में, एजेंट की प्राथमिकताएँ होती हैं – कुछ स्थितियाँ हैं जिनमें वह रहना पसंद करेगा, और कुछ स्थितियाँ हैं जिनसे वह बचने की कोशिश कर रहा है।

निर्णय लेने वाला एजेंट प्रत्येक स्थिति के लिए एक नंबर निर्दिष्ट करता है (जिसे "उपयोगिता" कहा जाता है) जो मापता है कि एजेंट इसे कितना पसंद करता है। प्रत्येक संभावित कार्रवाई के लिए, यह "अपेक्षित उपयोगिता" की गणना कर सकता है: कार्रवाई के सभी संभावित परिणामों की उपयोगिता, परिणाम होने की संभावना के आधार पर। इसके बाद यह अधिकतम अपेक्षित उपयोगिता के साथ कार्रवाई का चयन कर सकता है।

एक योजना में, एजेंट को ठीक–ठीक पता होता है कि किसी भी कार्यवाही का प्रभाव क्या होगा। हालाँकि, अधिकांश वास्तविक दुनिया की समस्याओं में, एजेंट उस स्थिति के बारे में निश्चित नहीं हो सकता है जिसमें वे हैं (यह "अज्ञात" या "अवलोकन योग्य" है) और यह निश्चित रूप से नहीं जान सकता है कि प्रत्येक संभावित कार्यवाही के बाद क्या होगा। इसे संभाव्य अनुमान लगाकर एक कार्यवाही का चयन करना चाहिए और फिर यह देखने के लिए स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि कार्यवाही काम कर रही है या नहीं। कुछ समस्याओं में, एजेंट की प्राथमिकताएँ अनिश्चित हो सकती हैं, खासकर यदि इसमें अन्य एजेंट या इंसान शामिल हों। इन्हें सीखा जा सकता है उदाहरण के लिए, उलटा सुदृढीकरण सीखने के साथ या एजेंट अपनी प्राथमिकताओं में सुधार करने के लिए जानकारी मांग सकता है। सूचना मूल्य सिद्धांत का उपयोग खोजपूर्ण या प्रायोगिक कार्यों के मूल्य को मापने के लिए किया जा सकता है। संभावित भविष्य की कार्रवाइयों और स्थितियों का स्थान आम तौर पर बहुत बड़ा होता है, इसलिए एजेंटों को कार्रवाई करनी चाहिए और स्थितियों का मूल्यांकन करना चाहिए, जबकि यह अनिश्चित होना चाहिए कि अंतिम परिणाम क्या होगा।

हाल के वर्षों में AI का सोशल मीडिया मार्केटिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। डेटा का विश्लेषण करने और भविष्यवाणियां करने की क्षमता ने व्यवसायों को अपने विज्ञापन और सामग्री को सही लोगों पर लक्षित करने, सोशल मीडिया वार्तालापों में पैटर्न और रुझानों की पहचान करने और दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने की अनुमति दी है।

हालाँकि, AI का विकास इसे एक आरामदायक तकनीक बना रहा है और लोग इससे अधिक जुड़ रहे हैं। इसलिए, यह कहा जा सकता हैं कि यह एक महान तकनीक है, लेकिन बिना किसी नुकसान के प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रत्येक तकनीक का उपयोग सीमित तरीके से किया जाना चाहिए।

एआई का भविष्य उज्ज्वल और संभावनाओं से भरा है। जैसे–जैसे समाज इस तकनीक को अपना रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि हम इसके प्रभाव के प्रति सचेत रहें और इसके विकास के साथ आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए काम करें।

आशीष कुमार दुबे
प्रोग्रामर

सांसद आदर्श ग्राम योजना विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला

पंचायतराज संचालनालय म.प्र. शासन भोपाल द्वारा दिनांक 29.12.2023 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की 01 दिवसीय कार्यशाला क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, इंदौर में आयोजित की गई ।

कार्यशाला में पंचायतराज संचालनालय से श्री सुधीर जैन उपायुक्त (विकास) एवं श्री अमन व्यास भी उपस्थित हुए।

कार्यशाला का शुभारंभ श्री सुधीर जैन उपायुक्त (विकास) द्वारा मॉ सरस्वती देवी को माल्या अर्पण एवं द्वीप प्रज्जलित कर किया गया।

कार्यशाला में इन्दौर संभाग इन्दौर के जिला इन्दौर, अलिराजपुर, बडवानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ खण्डवा एवं खरगोन के जिला नोडल अधिकारी एवं सांसद आदर्श ग्राम के सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक कुल 74 प्रतिभागी उपस्थित हुए।

श्री सुधीर जैन उपायुक्त(विकास) द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का परिचय, लक्ष्य, उद्देष्य, ग्राम विकास योजना, आदर्ष ग्राम का निर्धारण, भूमिकाएं और जिम्मेदारिया, समय–सीमा, कार्यनीति, आदर्ष ग्राम के जरिये समग्र विकास, विभिन्न गतिविधियां इत्यादि विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई ।

कार्यक्रम में संस्थान के संयुक्त आयुक्त महोदय श्री प्रतीक सोनवलकर द्वारा सभी प्रतिभागियों को सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं क्रियान्वयन पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया ।

आभार श्री रोहित पचोरी विकासखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया एवं कार्यशाला का समापन किया गया

सुधा जैन
संकाय सदस्य

वृद्धि निगरानी ओर बच्चों का विकास

वृद्धि का अर्थ है, आकार या वजन में नियमित रूप से बढोत्तरी का होना। किसी भी जीव की चाहे वह पौधा हो या मनुष्य, वृद्धि का मतलब हैं जीव का नियमित और लगातार बढ़ना।

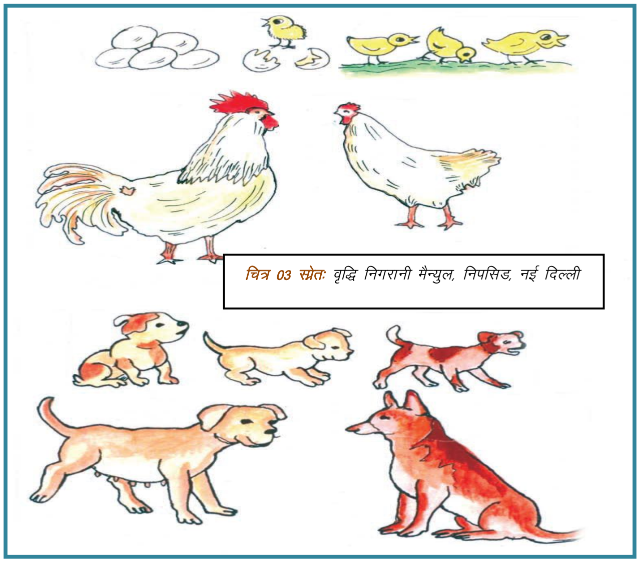

चित्र 03 स्रोतः वृद्धि निगरानी मैन्युल, निपसिड, नई दिल्ली

जब एक बीज बढकर पौधा बनता है और फिर पूर्ण पौधा बनता है तो हम कहते है कि यह बढ रहा है। पौधें का नियमित बढोत्तरी, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी, सूर्य की रोशनी, उर्वरक की उपलब्धता, बिमारी का न लगना और खरपतवार की लगातार सफाई पर निर्भर करती हैं ।

जब किसी शिशु के वजन या उंचाई में बढोत्तरी होती है, वह करवट लेता, बैठता है, तो हम कहतें है, बच्चा बढ रहा। पर्याप्त संतुलित भोजन, देखभाल पालन – पोषण, अच्छे सामाजिक परिवेश और निरोग रहने से बच्चे की नियमित व उचित वृद्धि और विकास होता है।

वृद्धि निगरानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इससे आँगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के विकास पर निगरानी के निम्न कौशलों पर दक्षता प्राप्त करती हैं –

- बच्चों में वृद्धि में कमी की शीघ्र पहचान और कुपोषण के नियंत्रण का कौशल।
- उन कुपोषित बच्चों की पहचान करने का कौशल (जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती हैं)
- गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान करनें का कौशल (जिन्हे अतिरिक्त विशेष प्रकार की देखभाल और संदर्भ सेवा की आवश्यकता होती है)
- वजन में या वृद्धि में कमी के कारणों की पहचान के कौशल ;उदाहरण के लिए डायरिया, श्वसन, संक्रमण अपर्याप्त आहार, मॉ

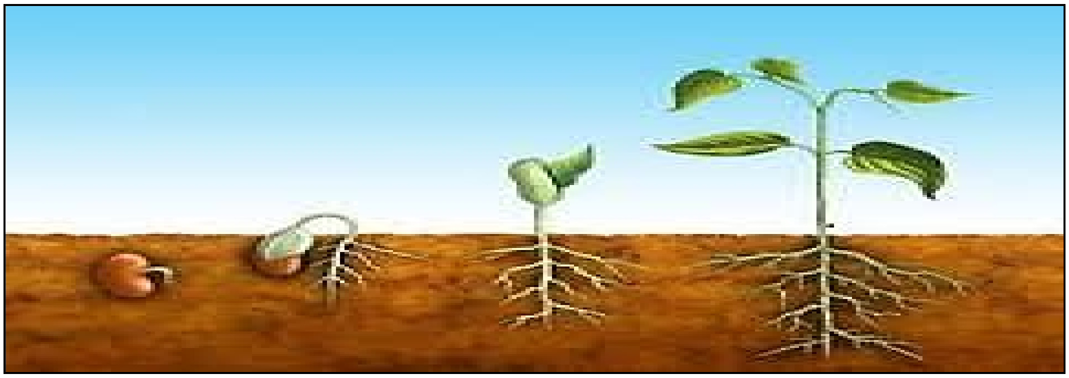

का कमजोर या बीमारी से ग्रस्त होना आदि सभी कारणों का पता लगाकर सही उपचार हेतु आवश्यक कदम उठाने के कौशल

- पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों के विकास के लिये मॉ तथा परिवार को सहायता व परामर्श प्रदान करने के कौशल।

- **वृद्धि क्या है ?**

वृद्धि का अर्थ है, आकार या वजन में नियमित रूप से बढोत्तरी का होना। किसी भी जीव की चाहे वह पौधा हो या मनुष्य, वृद्धि का मतलब हैं जीव का नियमित और लगातार बढ़ना। वृद्धि एक नियमित प्रक्रिया है, प्रत्येक क्षण जारी रहती है और यह हमारे पर्यावरण और जीवन में हमेशा मौजूद हैं। वृद्धि, जिसे हमें भौतिक कारकों जैसे– लम्बाई, वजन आदि से प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, माप सकते हैं।

- वृद्वि के कुछ प्रत्यक्ष कारण होते हैं, जो वृद्धि सुनिश्चित करते हैं, जैसे बच्चों के वृद्वि में उनका आहार, सामाजिक परिवेश आदि महत्वपूर्ण होता हैं।

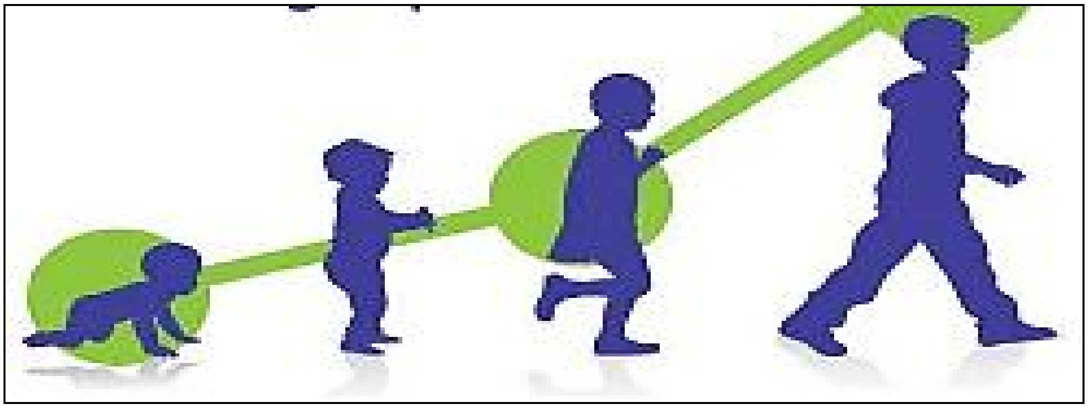

- **बच्चे की वृद्धि निगरानी**

- बच्चे की वृद्धि निगरानी का अर्थ है – **बच्चे की वृद्धि को नियमित रूप से मापते हुए उस पर नजर रखना।** इससे बच्चों में ठीक बढोत्तरी होने या वृद्धि ठीक नही होने का अनुमान हो जाता है और बच्चों की नियमित बढोत्तरी और स्वास्थ के लिए विशेष सरल, सुगम व व्यवहारिक कदम उठाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता हैं।

यह निर्णय करना कि ''वृद्धि पर्याप्त है या कम है या अधिक है'' तथा उसके लिए जिम्मेदार कारणों की पहचान कर आवश्यक कदम उठाना ''वृद्धि निगरानी'' कहलाता है।

बच्चों में वृद्धि का मापन किया जाता हैं – 1. आकार (ऊँ**चाई**/लंबाई) के मापन द्वारा।

2. वजन के मापन द्वारा।

बच्चों की वृद्धि निगरानी के चरण

सम्पूर्ण वृद्धि निगरानी की प्रक्रिया को निम्न चरणों में बांटा गया है–

चरण – 1 बच्चे की सही जन्म तिथि का निर्धारण।

चरण – 2 बच्चे की सही वजन लेना।

चरण – 3 लिंग अनुसार वृद्धि चार्ट पर बच्चे का वजन रेखा सही तरीके से खींचना।

चरण – 4 वृद्धि रेखा की दिशा समझना और जॉचना कि क्या बढोत्तरी उचित है।

चरण – 5 बच्चे की वृद्धि के बारे में माता या पालक से बातचीत करना और आगे की रणनीति तैयार करना ।

- **वृद्धि निगरानी चार्ट में डब्ल्यू.एच.ओ. के नवीन बाल वृद्धि मानकों अनुसार बच्चों के पांच वर्ष तक के वजन का रिकार्ड होता है।**

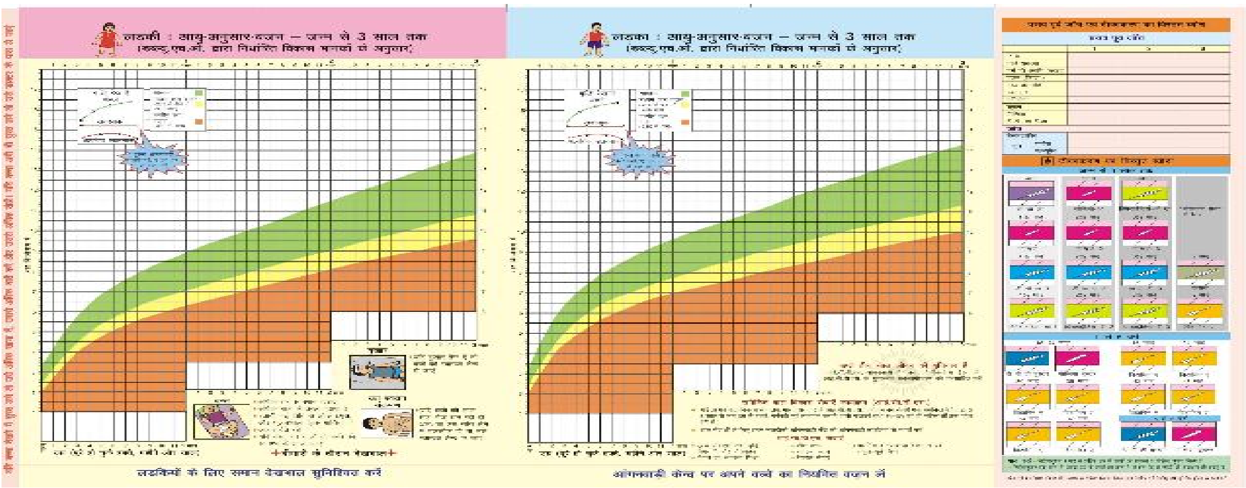

नए मानकों के अनुसार लडकियों व लडकों का अलग अलग वृद्धि चार्ट है, चूँकि दोनों की जन्म से ऊँचाई और वजन भिन्न भिन्न होते हैं और उम्र के साथ साथ उनकी ऊँचाई में वृद्धि में भी भिन्नता पाई जाती है। पंजी के पूर्वार्ध में लडकियों का वृद्धि चार्ट है, जिसे ''**गुलाबी बार्डर**'' से दर्शाया गया है, दूसरा भाग ''**नीले बार्डर** ''का है, जो लडकों के वृद्धि मापने के उपयोग में लाया जाता है।

वंदना तिवारी,
व्याख्याता

जनपद पंचायत की बैठक आयोजित करने की प्रकिया

जनपद पंचायत की बैठकों की प्रक्रिया के संबंध में प्रमुख प्रावधान, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 44 एवं 45 में दिये गये हैं। इसके साथ–साथ पंचायत की बैठक आयोजित करने की प्रकिया के संबंध में म.प्र. पंचायत (सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कामकाज का संचालन) नियम, 1994 में दिये गये हैं।

जनपद पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया (धारा 44)

- पंचायत के सम्मिलन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी मत देने का अधिकार होगा।
- जनपद पंचायत के सम्मिलन की गणपूर्ति जनपद पंचायत के सदस्यों के एक तिहाई से होगी।
- अध्यक्ष जनपद पंचायत द्वारा प्रत्येक मास में कम से कम एक बार सम्मिलन बुलाएगा। यदि अध्यक्ष सम्मिलन बुलाने में असफल रहता हो तो पिछली बैठक के 25 हो जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैठक बुलाएगा।
- तीन माह में एक बार आय, व्यय की रिपोर्ट, अनुमोदित प्राक्कलित वार्षिक बजट की तुलना के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
- यदि 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य विशेष सम्मिलन की लिखित में मांग करते हैं तो मांग होने के सात दिवस में विशेष बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलाई जावेगी। यदि अध्यक्ष ऐसी विशेष बैठक बुलाने में असफल रहते हों तो मांग करने वाले सदस्यों द्वारा बैठक बुलाई जा सकती है जिसकी सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जारी करेगें।
- यदि अध्यक्ष प्रत्येक मास में एक बार और विषेष सम्मिलन बुलाने में लगातार तीन बार असफल रहता है तो वह धारा 40 के अधीन उसके पद से हटाया जा सकता है। धारा 40 की कार्यवाही के लिए जनपद पंचायत के मामले में विहित प्राधिकारी कलेक्टर/ अतिरिक्त कलेक्टर होगें।

पंचायतों द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार (धारा 45)

पंचायत द्वारा एक बार अंतिम रूप से निपटा दिये गये किसी विषय पर उसके द्वारा छह मास के भीतर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके सदस्यों के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की, जो मत देने के लिए हकदार है। अभिलिखित सम्मति उसके संबंध में अभिप्राप्त न कर ली गई है या जब तक कि

विहित प्राधिकारी ने उस पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देष न दिये हों। धारा 45 के अन्तर्गत जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर/ अतिरिक्त कलेक्टर को विहित प्राधिकारी होगें।

म.प्र. पंचायत (सम्मिलन की प्रकिया तथा कामकाज का संचालन) नियम, 1994 की प्रमुख बातें

सम्मिलन का बुलाया जाना

अध्यक्ष जनपद पंचायत द्वारा बैठक की तारीख, समय तथा स्थान तय किया जावेगा। बैठक की सूचना एवं कार्यसूची सामान्य बैठक के लिए 7 दिन और विषेष बैठक के लिए 3 दिन पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जावेगी। बैठक की अध्यक्षता जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या इन दोनों की अनुपस्थित पर उपस्थित सदस्य में से चुना गया सदस्य अध्यक्षता करेगें। उपस्थित सदस्यों में से बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। मतों के बराबर रहने पर अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक रहेगा।

सम्मिलन की कार्यसूची

सम्मिलन की कार्यसूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अध्यक्ष के परामर्ष से तैयार की जावेगी। कार्यसूची के साथ कार्यसूची में सम्मिलित की गई मदों पर यथासंभव संक्षिप्त टिप्पणियॉ संलग्न की जाएंगी।

सभापति की शक्तियां

सभापति बैठक में उपस्थित किसी सदस्य को ,जिसके बारे में उसे युक्ति युक्त आधारों पर यह विश्वास हो कि वह चर्चा के किसी विषय पर हित रखता हो, उस विषय पर चर्चा करने अथवा मतदान करने से रोक सकेगा। ऐसा पदधारी, सभापति के इस निर्णय पर आपत्ति कर सकेगा, तब सभापति उसे बैठक में रखेगा तथा जो निर्णय किया जाय वह अन्तिम होगा । (इस विषय पर आपत्ति करने वाला सदस्य मत नही देगा)।

बोलते समय अनुपालन किये जाने वाले नियम

कोई पदधारी बोलते समय :— किसी ऐसे विषय के गुण अवगुण पर जो न्यायालय में विचाराधीन हो कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। स्थानीय शासन,राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी पदधारी या पदाधिकारी के विरूद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायेगा। संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल या किसी जिला पंचायत या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के संचालन या कार्यवाहियों के संबंध में किसी संतापकारी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। मानहानिकारक शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा। पंचायत के काम काज में बाधा डालने के प्रयोजन से अपने भाषण संबंधी अधिकार का अनुचित रूप से प्रयोग नही करेगा।

कोई पदधारी किसी प्रस्ताव पर संशोधन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेगा

ऐसा कोई पदधारी जिसने किसी प्रस्ताव पर बैठक को संबोधित किया हो उसके बाद संशोधन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेगा ।

कोई पदधारी, मत देने का प्रस्ताव रखे जाने के पष्चात उस पर नहीं बोलेगा

सभापति द्वारा किसी विषय पर मत का प्रस्ताव रखे जाने के बाद कोई पदधारी उस पर नहीं बोलेगा।

पदधारियों के स्थान

पदधारी बैठक के सभापति द्वारा निश्चित किये गये स्थान पर क्रम से बैठेगें ।

पदधारी बोलते समय खड़ा होगा

पदधारी किसी विषय पर सभापति द्वारा नाम पुकारे जाने के बाद अपने स्थान पर खड़ा होकर बोलेगा तथा सभापति को संबोधित करेगा ।

जब सभापति द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा जाए तब पदधारी बैठ जाएगा

जब सभापति द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा जाए तब वह तत्काल अपने स्थान पर बैठ जाएगा

संकल्प प्रस्तुत करने की शक्ति

कोई भी पदधारी पंचायत के प्रशासन तथा कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा ।

संकल्प का स्वीकार किया जाना

सभापति संकल्प को स्वीकार करने के संबंध में निर्णय करेगा यदि उसकी राय से कोई संकल्प, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के विरूद्ध है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

संकल्प का प्रारूप

प्रत्येक संकल्प स्पष्ट रूप से और ठीक–ठाक अभिव्यक्त किया जाएगा और उसके किसी निष्चित विवाद्यक को उठाया जाएगा। संकल्पों में न तो कोई तर्क, अनुमान, व्यंगात्मक अभिव्यक्ति या मानहानि कारक वक्तत्व अन्तर्विष्ट होंगे और न ही उनमें किन्हीं व्यक्तियों के, उनकी पदीय या लोक हैसियत को छोड़कर, आचरण या चरित्र के संबंध में कोई निर्देश होगा। संकल्प सकारात्मक स्वरूप का होगा।

संकल्प की सूचना

संकल्प की सूचना लिखित में होगी और प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित होगी। कोई पदधारी यदि बैठक में संकल्प प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे इसकी सूचना बैठक की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले देनी होगी। संकल्प में उल्लेखित कारणों के आधार पर जरूरी हो तो, सभापति पॉच दिन से कम की सूचना पर भी संकल्प को कामकाज की सूची में प्रविष्ट करने की अनुज्ञा दे सकता है।

संकल्प प्रस्तुत करना या वापस लेना

कोई पदधारी जिसके नाम से कोई संकल्प कामकाज की सूची में दर्ज किया गया है, नाम पुकारे जाने पर या या तो, संकल्प प्रस्तुत करेगा, या संकल्प वापस ले लेगा और इस स्थिति में उस आषय के केवल कथन तक ही अपने को सीमित रखेगा।

सभापति संकल्प पर चर्चा की अनुमति देगा

नाम पुकारे जाने पर यदि कोई पदधारी अनुपस्थित है तो उसके नाम पर दर्ज किया गया संकल्प को वापस लिया गया, तब तक माना जाएगा जब तक कि, सभापति उस चर्चा की अनुमति न दे दे।

चर्चा की सीमा

किसी भी संकल्प पर की जाने वाली चर्चा केवल संकल्प तक ही सीमित होगी।

संकल्प का विभाजन

जब अनेक विषय बिन्दुओं से अर्न्तर्विलित किसी संकल्प पर चर्चा कर ली जाए, तब सभापति अपने विवेकानुसार संकल्प का विभाजन करेगा, और प्रत्येक या किसी एक विषय बिन्दु को जैसा वह उचित समझे, पृथकतः मत देने के लिए रखेगा।

संकल्प के विषय में सभापति का अधिकार

सभापति का संकल्प या प्रस्ताव प्रस्तुत करने या उसके संबंध में बोलने का वही अधिकार होगा जो किसी अन्य पदधारी को है।

सभापति का ध्यानाकर्षण

कोई पदधारी सभापति का ध्यानाकर्षण, सम्मिलन के पूरे पॉच दिन पूर्व अपने आशय की सूचना देकर कर सकेगा। कोई पदधारी सम्मिलन के पूरे पॉच दिन पूर्व सूचना देकर पंचायत के प्रशासन या उसके किसी कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में सभापति से जानकारी मांग सकेगा। सभापति, जानकारी प्राप्त करने के लिए रखे गए किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को, यदि वह नियम 7 के उपबन्धों का उल्लंधन करता है, अनुज्ञात कर सकेगा। जानकारी संबंधी कोई ध्यानाकर्षण सूचना विचार–विमर्ष योग्य नहीं होगी।

पदधारी व्यवस्था भंग करने का दोषी कब होगा

कोई पदधारी, व्यवस्था भंग करने का दोषी होगा जो–आपत्तिजनक या संतापकारी शब्दों का प्रयोग करता है और उन्हें वापस लेने या क्षमा मांगने से इंकार करता है, या, सम्मिलन के शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित संचालन में जानबूझकर गड़बड़ी पैदा करता है, या, सभापति के किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है, या, सभापति के अपनी कुर्सी से उठने पर या सभापति द्वारा स्थान ग्रहण करने के लिए आदेशित किए जाने पर अपना स्थान ग्रहण नहीं करता है।

संतापकारी शब्द

कोई भी पदधारी किन्हीं भी संतापकारी शब्दों के संबंध में आपत्ति कर सकेगा। संतापकारी शब्दों पर आपत्ति करने वाले पदधारी को प्रस्ताव रखना चाहिए कि, ''संतापकारी शब्द वापस लिये जाएं'', यदि उसका प्रस्ताव मान लिया जाए तो सभापति यह निर्देष देगा कि शब्द वापस लिए जाएं। संतापकारी शब्दों पर आपत्ति तभी उठाई जाएगी जबकि उनका प्रयोग किया गया हो और किसी अन्य पदधारी ने बोलना आरम्भ न किया हो।

विसंगति या पुनरावृत्ति

सभापति ऐसे किसी पदधारी के आचरण के प्रति, जो विचार विमर्ष में या तो उसके अपने तर्क या अन्य पदधारी के तर्क में विसंगत या उकता देने वाली पुनरावृत्तियां लगातार कर रहा है, पंचायत का ध्यान आकृष्ट करने के पष्चात् उसे अपना भाषण बंद करने के लिए निर्देषित कर सकेगा।

सभापति की किसी पदधारी को सम्मिलन से निकल जाने का निर्देष देने की शक्ति

सभापति ऐसे किसी पदधारी को सम्मिलन से तुरन्त निकल जाने का निर्देष दे सकेगा जिसका आचरण उसकी राय में अत्याधिक विच्छृंखल हो, या जो नियम 22 के अधीन व्यवस्था भंग करने का दोषी हो और उस प्रकार निकल जाने के लिए आदेषित किया गया कोई पदधारी तुरन्त ऐसा करेगा और उस दिन के सम्मिलन की शेष अवधि के दौरान स्वयं अनुपस्थित रहेगा।

किसी बैठक को स्थगित करने की शक्ति

सभापति सम्मिलन में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दषा में उसके द्वारा विनिष्चित तथा घोषित किए जाने वाले समय तक के लिए किसी बैठक को स्थगित कर सकेगा।

पदधारी मत देने के लिए हकदार नहीं होगा

कोई भी पदधारी पंचायत के सम्मिलन में विचारार्थ लाये गये किसी ऐसे प्रष्न पर चर्चा में अपना मत नहीं देगा और उसमें भाग नहीं लेगा, यदि वह ऐसे प्रश्न में लोक सदस्य के रूप में भिन्न स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन संबंधी हित रखता है।

सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कतिपय मामलों में अध्यक्षता करने का हकदार नहीं होगा

यदि सम्मिलन में उपस्थित किसी पदधारी को यह प्रतीत होता है कि सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति सम्मिलन के समक्ष चर्चा के किसी विषय में धन संबंधी कोई ऐसा हित रखता है जो नियम 27 में निर्दिष्ट है तथा उसके द्वारा लाया गया तदर्थक प्रस्ताव पारित हो जाने पर ऐसा व्यक्ति चर्चा के दौरान ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा और सम्मिलन की अध्यक्षता किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो इस प्रकार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता।

कार्यवृत्त

प्रत्येक पंचायत कार्यवृत्त पुस्तिका में उपस्थित पदधारियों के नाम, उपस्थित सरकारी अधिकारियों के नाम, यदि कोई हों, पंचायत और उसकी समितियों के प्रत्येक सम्मिलन की समस्त कार्यवाहियों के कार्यवृत्त, किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मत देने वाले या तटस्थ रहने वाले पदधारियों के नाम।

ऐसे कार्यवृत्त को सम्मिलन की समाप्ति के दस दिन के भीतर सम्मिलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को परिचलित किया जाएगा। इस प्रकार अभिलिखित किये गये कार्यवृत्त, उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होंगे जिसने उक्त सम्मिलन की अध्यक्षता की है। यह सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी पदधारी द्वारा परीक्षण के लिए निःशुल्क खुला रहेगा। कार्यवृत्त, देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में होंगे।

कार्यवृत्त की एक प्रति, पन्द्रह दिन के भीतर – जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण को भेजी जाएगी। अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (4) या उपधारा (6) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार यदि अध्यक्ष सम्मिलिन बुलाने में कम से कम तीन अवसरों पर असफल रहता है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी उस प्रभाव के बारे में एक रिपोर्ट राज्य सरकार या ऐसे विहित प्राधिकारी को भेजेगा जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उचित कार्यवाही करेगा। धारा 40 के अन्तर्गत जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर/ अतिरिक्त कलेक्टर को विहित प्राधिकारी होगें।

ध्यानाकर्षण तथा संकल्प

कोई भी पदधारी, पंचायत के कार्य के निष्पादन में की गई किसी भी उपेक्षा, पंचायत निधि या संपत्ति के अपव्यय या दुरूपयोग या पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी परिक्षेत्र की आवष्यकताओं की ओर सभापति का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और ऐसे सुझाव दे सकेगा जो वांछनीय प्रतीत हों।

जनपद पंचायत साधारण सभा के संबंध में शासन के निर्देष

जनपद पंचायत की साधारण सभा की बैठक के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, क्रमांक / एफ–2–2/ 22/ पं–1/ 2015, भोपाल दिनांक 20–10–2015 में दिये गये निर्देश अनुसार जनपद पंचायतों की साधारण सभा की मासिक बैठक प्रतिमाह 20 तारीख तक अनिवार्यतः आयोजित की जावेगीं, अगर कोई अवकाश हो तो अगले दिवस बैठक आयोजित की जावेगें। बैठक की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से एवं कार्यसूची सर्वसंबंधितों को अनिवार्य रूप से तामील कराई जायेगी।

बैठक की संभावित कार्यसूची

(1) पूर्व बैठक का पालन प्रतिवेदन
(2) कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर चर्चा
(3) नये प्रस्तावों का अनुमोदन
(4) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा

अगर बैठक आयोजन संबंधी उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है और किसी प्रकार की कोताही बरती जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन – यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य विशेष रुप से कमजोर जनजाति समुदायों (पीवीटीजी) की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार कर उन्हें मुख्यधारा में लाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ थी जिसमें से 18 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के 75 जनजाति समुदायों को विशेष रुप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी (Particularly Vulnerable Tribal Groups) के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।इन समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जन जाति आदिवासी न्याय अभियान अर्थात पीएम – जनमन की शुरुआत की गई है। इसके तहत पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता , शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच , सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थाई आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं अगले 3 वर्षों में उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु कुल वित्तीय प्रावधान राशि रुपए 24104/– करोड़ रखा गया है।

क्रियान्वयन

केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों एवं पीवीटीजी समुदायों के सहयोग से पीएम – जनमन योजना संबंधी जागरुकता बढ़ाने और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों बहुसंख्यक जनजातीय बस्तियों

और पीवीटीजी परिवारों तक सरकारी योजनाओ की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाया जा रहा है यह आईईसी पहल ऐसे प्रत्येक पीवीटीजी परिवार को शामिल करना सुनिश्चित करेगी जो अब तक दूरी, सड़क एवं डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी के कारण पहुंच से बाहर है तथा उनके द्वार पर सुविधाएं प्रदान करेगी। इन कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए हाट बाजार , ग्राम पंचायत, सीएससी, आंगनवाडी केंद्र, बहुउदेश्यीय केंद्र, वन विकास केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र जैसे स्थानों का उपयोग किया जाएगा। इन स्थानों पर शिविर लगाकर सर्वे किया जा रहा है । सर्वे में गांव में उपलब्ध संसाधनों एवं बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली जा रही है। शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित पात्र पीवीटीजी परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है।

पीएम – जनमन योजना में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से केंद्र एवं राज्य के सहयोग से संचालित योजनाओं की 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो इस प्रकार से हैं –

व्यक्तिमूलक गतिविधियां

- पक्के मकानों का प्रावधान ।
- हर घर नल से जल आपूर्ति ।
- हर घर बिजली। इसमें मकानों का ऊर्जीकरण जिसमें 0. 3 किलो वाट सोलर ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान है ।

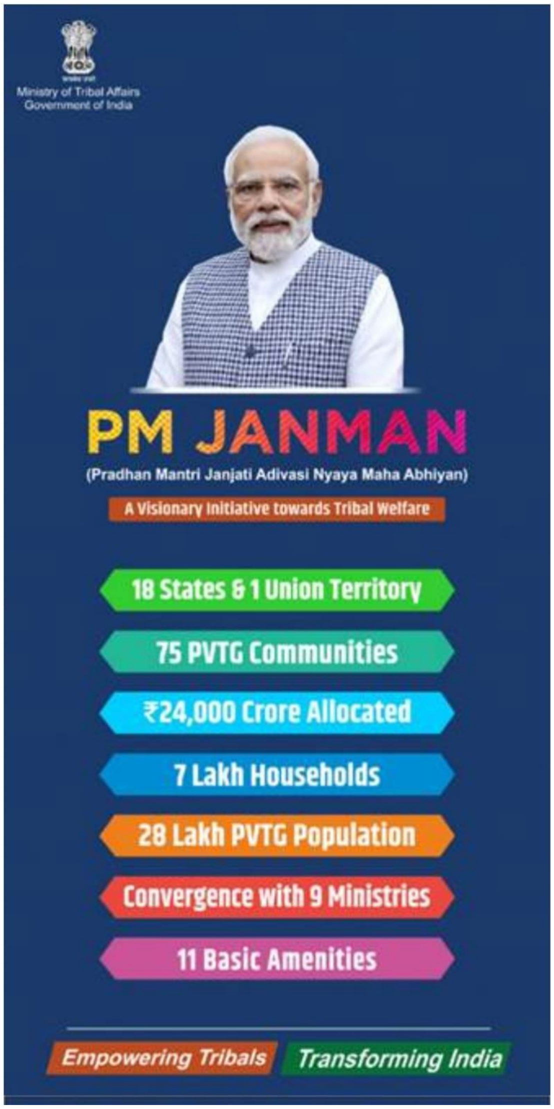

समुदाय आधारित गतिविधियां

- गांव गांव तक सड़क संपर्क ।
- सामुदायिक जल आपूर्ति ।
- दवा लागत के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाई ।
- छात्रावास का निर्माण , व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा ।
- आंगनवाडी केंद्रों का निर्माण।
- बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण (एमपीसी) ।
- सड़कों और एमपीसी में सौर प्रकाश व्यवस्था ।
- वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके)की स्थापना ।
- मोबाइल टावर की स्थापना ।

मध्यप्रदेश में पीएम जनमन के अंतर्गत बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातियां पीवीटीजी के तहत लक्षित है। पीएम – जनमन योजना मध्यप्रदेश के अनूपपुर, अशोकनगर, भिंड, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, रायसेन, सतना, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, उमरिया एवं विदिशा जिलों में प्रारंभ की गई है। इन वर्गों के पात्र हितग्राहियों को मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का आवास निर्माण हेतु रुपए 2.00 लाख की वित्तीय सहायता के साथ–साथ मनरेगा मजदूरी एवं व्यक्तिगत शौचालय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु सर्वप्रथम मध्यप्रदेश के इन जिलों के चयनित विकासखण्डों में पीवीटीजी परिवारों का आवास प्लस एप के द्वारा सर्वे की कार्यवाही की जा रही है। सर्वे पश्चात आवास हेतु पात्र हितग्राही का पंजीयन एवं आवास निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

राजीव लघाटे,
मु.का.अ.ज.पं.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 17 सितमबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा दिवस पर शुरू की गई एक नई स्कीम है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को कर दी थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों (Products) और सेवाओं (Services) को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना जिसमें अपने हाथों और उपकरणों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को 'विश्वकर्मा' के रूप में मान्यता दी जाएगी और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया जाएगा।

इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। बढ़ई (सुथार/बधाई), नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार (लोहार), हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार (सोनार), कुम्हार (कुम्हार), मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला, मोची (चर्मकार) / शूस्मिथ/फुटवियर कारीगर, मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी/चटाई/झाडू निर्माता/कॉयर बुनकर, गुड़िया और उचय खिलौना बनाने वाला (पारंपरिक), नाई (नाई), माला बनाने वाला (मालाकार), धोबी (धोबी), दर्जी (दारजी) और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला। साथ ही, उनके कौशलों को निखारने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। उनकी क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। साथ ही, इच्छुक लाभार्थियों को बिना किसी सिक्युरिटी के ऋण और ब्याज छूट के साथ ऋण प्रदान करने का प्रावधान होगा। इसके अलावा, डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और नए अवसरों के लिए मदद करने हेतु ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। PM Vishwakarma gov in Yojana (प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना) पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके काम को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना का नाम	**प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना**
योजना शुरू होने की तारीख	**17 सितमबर 2023**
योजना किसने शुरू की	**प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी**
योजना शुरू करने का स्थान	**नई दिल्ली**
योजना के लाभार्थी	**पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार**

योजना के लाभ	**मुफ्त ट्रैनिंग, टूल किट के लिए राशि, लोन, सर्टिफिकेट, आदि**
योजना की वेबसाईट	**pmvishwakarma.gov.in**

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी (योग्यता)

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Gov In) के अंतर्गत शुरुआत में इन 18 तरह के कारीगरों/ शिल्पकारों को इस योजना के लाभ के लिए चुना गया है। स्व–रोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में निम्नलिखित 18 परिवार–आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।

इनमें से किसी एक केटेगरी मे होना चाहिएः बढ़ई (सुथार), नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार (लोहार), हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकारध् पत्थर तराशने वालाध् पत्थर तोड़ने वाला, मोची (चर्मकार)/ जूता बनाने वाला/ फुटवियर कारीगर, मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी निर्माताध् टोकरी वेवरध् चटाई निर्माता/कॉयर बुनकर/ झाडू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला निर्माता (मालाकार), धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माता।

आयु सीमाः

पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

परिवार संबंधित योग्यताः

लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्व–रोजगार / व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट–आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी (PMEGP), पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi), मुद्रा (MUDRA) योजना के अनर्गत कोई लाभ न लिया हो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक 'परिवार' मे पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को माना जाएगा।

सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए –

सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभ –

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के निम्नलिखित लाभ हैं –

मान्यताः

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को एक प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड से विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलेगी। जिस से लाभार्थी को नौकरी के लिए अपना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिखाकर लाभ मिल सकता है।

कौशल (ट्रैनिंग):

ट्रैनिंग वेरीफिकेशन के बाद 5–7 दिन (40 घंटे) का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिनों (120 घंटे) के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान 500/– रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा।

टूलकिट के लिए राशिः

प्रशिक्षण के बाद लाभार्थी को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वो टूलकिट खरीद कर अपना काम शुरू कर सके।

ऋण (लोन) सहायताः

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी को पहली बार सिक्युरिटी रहित उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपये दिया जाएगा जिसको 18 महीने मे वापस दे सकते हैं। और यदि आप पहली बार का लोन समय पर अदा कर देते हैं तो आप दूसरी बार 2 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं जिसके लिए भुगतान करने का समय 30 महीने दिया गया है। ब्याज की रियायती दर 5% रहेगी। और एमओएमएसएमई (MoMSME) द्वारा 8% की ब्याज पर लोन का भुगतान किया जाएगा। लोन कर इस प्रक्रिया मे क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहनः

यदि लाभार्थी डिजिटल तरीके से लेनदेन करते हैं तो हर महीने 1 रुपए प्रति लेनदेन (अधिकतम 100 लेनदेन के लिए) दिया जाएगा।

मार्केटिंग मे सहायताः

लाभार्थी को राष्ट्रीय विपणन समिति (एनसीएम) गुणवत्ता प्रमाणन (Quality Certification), ब्रांडिंग और प्रचार (Branding & Promotion), ई–कॉमर्स लिंकेज (E-commerce linkage), व्यापार मेले विज्ञापन (Trade Fairs advertising), प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों (publicity and other marketing activities) जैसी सेवाएं प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण (Registration) कैसे करें –

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा (pmvishwakarma-gov-in) योजना के लिए पंजीकरण व आवेदन निम्नलिखित चरणों मे पूरा होगा।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए आपको नजदीकी CSC केंद्र जाना होगा। यहाँ पर आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

- **स्टेप–1:** मोबाईल व आधार वेरीफिकेशन (Mobile and Aadhaar Verification): अपना मोबाइल वेरीफिकेशन और आधार ईकेवाईसी (E-KYC) करें।
- **स्टेप–2:** कारीगर पंजीकरण फॉर्म (Artisan Registration Form): पंजीकरण फॉर्म के लिए आवेदन करें।
- **स्टेप–3:** पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र (PM Vishwakarma Certificate): पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी (Digital ID) और प्रमाणपत्र (Certificate) डाउनलोड करें।
- **स्टेप–4:** योजना लाभ के लिए आवेदन करें (Apply for scheme components): विभिन्न लाभ लेने के लिए आवेदन करना प्रारंभ करें।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुडे प्रश्न

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है?

पीएम विश्वकर्मा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय सरकार की योजना है, जो कारीगरों और शिल्पकारों को सिक्युरिटी रहित लोन, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच के माध्यम से समग्र सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कौन है?

इन 18 व्यापारों में लगे कारीगर और शिल्पकार पात्र हैं। जिसमें बढ़ई (सुथार), नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार (लोहार), हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार/ पत्थर तराशने वाला/ पत्थर तोड़ने वाला, मोची (चर्मकार)/ जूता बनाने वाला/ फुटवियर कारीगर, मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी निर्माता/ टोकरी वेवर/ चटाई निर्माता/ कॉयर बुनकर/ झाडू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला निर्माता (मालाकार), धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माता।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्या लाभ हैं?

विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड, कौशल विकास, टूलकिट प्रोत्साहन, लोन सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन, मार्केटिंग समर्थन।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता क्या है?

हाथ और औजारों से काम करने वाला और परिवार–आधारित पारंपरिक व्यवसायों मे लगे हुए, असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर जुड़ा हुआ एक कारीगर या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होगा। पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्व–रोजगार/व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट–आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना मे से किसी योजना का लाभ न लिया हो। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक 'परिवार' को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ कैसे प्राप्त करें?

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति www-pmvishwakarma-gov-in पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।

पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर लाभार्थियों को पंजीकरण के लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। लाभार्थियों को MoMSME द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी प्रदान करने की जरूरत पड़ सकती है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लोन कहाँ से ले सकते हैं?

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियां और सूक्ष्म वित्त संस्थान इस योजना के तहत ऋण देने के पात्र हैं।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रारंभिक लोन की राशि क्या है?

प्रारंभिक 'उद्यम विकास ऋण' 18 महीने की अवधि के लिए एक लाख रुपये तक है।

मैंने पीएम विश्वकर्मा के तहत लोन की पहली किश्त पहले ही प्राप्त कर ली है। मैं लोन की दूसरी किश्त के लिए कब योग्य होऊंगा?

2 लाख रुपये तक की दूसरी लोन किश्त उन कुशल लाभार्थियों को उपलब्ध होगी जो एक स्टैन्डर्ड लोन खाता रखते हैं और जिन्होंने अपने व्यवसाय में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत कौशल प्रशिक्षण (ट्रैनिंग) प्राप्त किया है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ब्याज छूट की दर और राशि क्या है?

लोन के लिए लाभार्थियों से रियायती ब्याज दर 5% निर्धारित की गई है।

प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे?

प्रतिदिन 500 रु।

क्या मैं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिए बिना टूलकिट राशि प्राप्त कर सकता हूँ?

नहीं, 15 हजार रुपये तक की टूलकिट राशि ट्रैनिंग की शुरुआत में स्किल वेरीफिकेशन के बाद लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।

पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए एक परिवार के कितने सदस्य आवेदन कर सकते हैं?

पीएम विश्वकर्मा के लिए एक परिवार से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है।

पी.एम.विश्वकर्मा योजना में परिवार की परिभाषा क्या है?

पी.एम.विश्वकर्मा योजना मे एक परिवार को पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों (न्यूनतम 18 वर्ष की आयु) के रूप में परिभाषित किया गया है।

कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ –

यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करने की परिकल्पना करती है:

मान्यता:

पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान।

कौशल उन्नयन:

5–7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, 500 प्रति दिन रुपये के छात्रवृत्ति के साथ। .

टूलकिट प्रोत्साहन:

बेसिक स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत में ई–वाउचर के रूप में 15,000 रु. तक का टूलकिट प्रोत्साहन।

क्रेडिट सहायता:

संपार्श्विक मुक्त 'उद्यम विकास ऋण' रुपये तक का रुपये की दो किश्तों में 3 लाख। 1 लाख और रु. क्रमशः 18 महीने और 30 महीने की अवधि के लिए 2 लाख, 5 प्रतिशत निर्धारित रियायती ब्याज दर पर, भारत सरकार द्वारा 8 प्रतिशत की सीमा तक छूट के साथ। जिन लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे रुपये तक की क्रेडिट सहायता की पहली किश्त का लाभ उठाने के पात्र होंगे। 1 लाख. दूसरी ऋण किश्त उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने पहली किश्त का लाभ उठाया है और एक मानक ऋण खाता बनाए रखा है और अपने व्यवसाय में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहनः

एक रुपये की राशि। प्रति डिजिटल लेनदेन 1, अधिकतम 100 लेनदेन मासिक तक प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा।

विपणन सहायताः

कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, GeM जैसे ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग, विज्ञापन, प्रचार और के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी। मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव को बेहतर बनाने के लिए अन्य विपणन गतिविधियाँ।

उपरोक्त उल्लिखित लाभों के अलावा, योजना लाभार्थियों को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर 'उद्यमियों' के रूप में शामिल करेगी। औपचारिक एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र में लाभार्थियों का नामांकन पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर आधार–आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थियों के नामांकन के बाद तीन चरणों का सत्यापन किया जाएगा जिसमें ग्राम पंचायत / यूएलबी स्तर पर सत्यापन, जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा जांच और अनुशंसा और स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदन किया जावेगा।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना विषयक महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर में संचालक महोदय के मार्गदर्शन एवं उपसंचालक महोदय की उपस्थिति में दिनांक 22 दिसम्बर 2023 को एक दिवसीय प्रशिक्षण सह–कार्यशाला के दो बैच में आयोजन किया गया। प्रथम बैच में 58 मास्टर ट्रेनर एवं द्वितीय बैच में 44 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार कुल 102 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किये गये। उक्त प्रशिक्षण सह–कार्यशाला में प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के दिशानिर्देश एवं एमआईएस की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

डॉ. त्रिलोचन सिंह
संकाय सदस्य